

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017
दूरभाष: 0141-2700872, E-mail: shaladarpanjpr@gmail.com, rmsaccr@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल शि.प./जय./RGCGCC/2019/817-18

दिनांक :- 4/10/2019

अतिआवश्यक

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले।

विषय :-राजीव गांधी करियर गाईडेन्स पोर्टल पर विद्यार्थियों के शतप्रतिशत लॉगिन हेतु।
प्रसंग :-पं.17(2)शिक्षा-1/2019 जयपुर दि. 14.6.2019 एवं रास्कूशिप/जय/
शालादर्पणप्रकोष्ठ/2019-20/694 दि. 11.7.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन के प्रासंगिक आदेश द्वारा प्रदेश के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को करियर निर्माण से सम्बन्धित विविध जानकारियां उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से "राजीव गांधी करियर गाईडेन्स एवं काउंसलिंग सैल (RGCGCC)" का राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर गठन किया जा चुका है एवं दिनांक 6.2.2019 को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा देश के प्रथम करियर गाईडेन्स पोर्टल का लोकार्पण भी किया जा चुका है। इस ऑनलाईन पोर्टल से प्रदेश के कक्षा 9 से 12 तक के बालक-बालिकाओं के करियर निर्माण, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों, प्रवेश परीक्षाओं, रोजगार पाठ्यक्रम एवं विविध छात्रवृत्तियों के बारे में उचित मार्गदर्शन तथा अवसर की जानकारी निःशुल्क प्राप्त हो रही है।

राजीव गांधी करियर गाईडेन्स पोर्टल पर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का शत प्रतिशत लॉगिन सुनिश्चित कर लाभान्वित करवाया जाना है। इस सम्बन्ध में आपको पूर्व में भी निर्देशित किया जा चुका है। पोर्टल की लॉन्चिंग के लगभग 6 माह बीत जाने के बाद भी विद्यार्थियों के लॉगिन की रिपोर्ट्स अति न्यून प्राप्त हुई हैं जो विचारणीय है।

अतः आगामी 01 (एक) माह में शत प्रतिशत विद्यार्थियों को इस पोर्टल पर लॉगिन करवाकर कर लाभान्वित किया जावे एवं विद्यालयों के नियमित प्रार्थना सभा कार्यक्रम, बालसभा कार्यक्रम आदि में करियर गाईडेन्स गतिविधियों के ऑनलाईन डेमोस्ट्रेशन को शामिल करते हुए राज्य, जिला, ब्लॉक एवं विद्यालय स्तरीय कार्यक्रमों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करवायें।

4.10.19
(एम.आर. बागडिया)

अति. राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त राज. स्कूल शि. प. एवं विशिष्ट शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल शि.प. जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, (मा.शि./प्रा.शि.), राजस्थान जयपुर
5. निजी सहायक, निदेशक, SCERT - उदयपुर।
6. निदेशक, सीमेट-गोनेर, जयपुर।
7. प्रतिनिधि, यूनिसेफ इण्डिया, RCScE जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त-III